संख्या-2/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

राज्य योजना आयोग-1
नियोजन विभाग

लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 05, 2014

विषय: उ0प्र0 राज्य में आधार परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एनरोलमेन्ट एजेन्सीज के चयन हेतु प्रक्रिया।

महोदय,

यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथारिटी ऑफ इण्डिया की स्थापना देश के समस्त निवासियों को यूनीक आईडेन्टीफिकेशन नम्बर उपलब्ध कराने के लिये की गयी है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आधार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप राज्य योजना आयोग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनांक:मार्च 04, 2014 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त को उनके कार्यक्षेत्र के लिये रजिस्ट्रार तथा समस्त जिलाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिये संयुक्त रजिस्ट्रार नामित किया गया है।

2- प्रदेश में आधार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित व्यवस्था, दिशा-निर्देशों, एनरोलमेन्ट एजेन्सियों के सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया, आर0एफ0क्यू0 मूल्यांकन एवं परियोजना हेतु जिला अनुश्रवण समिति के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, दिनांक:नवम्बर 10, 2014 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत विकेन्द्रित व्यवस्था में मण्डल स्तर पर एनरोलमेन्ट एजेन्सीज के चयन आदि का कार्य मण्डलायुक्त जो उक्त परियोजना हेतु रजिस्ट्रार नामित हैं, द्वारा किया जायेगा।

3- Request for Quotation (R.F.Q.) को एनरोलमेन्ट एजेन्सियों की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्त जो इस परियोजना के रजिस्ट्रार भी हैं, को अलग से पृथक-पृथक प्रेषित किया जा चुका है।

4- मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार) द्वारा सूचना विभाग के माध्यम से Request for Quotation का विज्ञापन हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रीय स्तर के न्यूनतम दो-दो समाचार-पत्रों में और राज्य/मण्डल स्तर के न्यूनतम दो-दो प्रमुख समाचार-पत्रों में कराया जायेगा। साथ ही साथ

समस्त विज्ञप्ति राज्य सरकार, यू0आई0डी0ए0आई0, रजिस्ट्रार व संयुक्त रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर भी अपलोड की जायेगी।

5- कृपया एनरोलमेन्ट एजेन्सीज के चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय-सारणीं (संलग्न) का जिसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आधार कार्ड का नामंकन समय बद्ध तरीके से सुनिश्चत किया जाये। आधार परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण यू0आई0डी0ए0आई0 की वेबसाइट http://uidai.gov.in पर देखे जा सकते हैं। अन्य आवश्यक जानकारियां aadhaar.up@gmail.com पर मेल कर प्राप्त की जा सकती है।

6- आप से यह भी अनुरोध है कि चूंकि आधार कार्ड परियोजना शासन के विकास एजेन्डा में सम्मिलित है अत: इसमें प्राथमिकता से कार्यवाही अपेक्षित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या- 2/ (1)/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12, तद् दिनांक:

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- महानिदेशक एवं मिशन निदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, नई दिल्ली।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- राज्य यू0आई0डी0 कार्यान्वयन समिति के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7- RFQ Evaluation Committee के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
8- जिला अनुश्रवण समिति के समस्त सदस्य/सदस्य सचिव।
9- उपमहानिदेशक, यूनीक आईडेन्टीफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
10- निदेशक (अर्थ एवं संख्या) को अनुपालनार्थ।

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 2 / 17एम)(4)/35-आ0-1/2009-12 टी0सी0 दिनांक:दिसम्बर 05,2014

का सन्लग्नक

रजिस्ट्रार द्वारा निविदा प्रक्रिया और नामांकित एजेन्सी के चयन के लिये निर्धारित समय-सारणी

क्रम संख्या	कार्य	कार्य अवधि	तिथि
क	आर0एफ0क्यू0 विज्ञापन को हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कम से कम राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों सहित राज्य व मण्डल स्तर के न्यूनतम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करें तथा समस्त विज्ञप्ति राज्य सरकार, रजिस्ट्रार और संयुक्त रजिस्ट्रार की वेब साइट पर अपलोड करें।	7 दिन	09-12-2014
ख	मण्डलवार एजेंसियों से निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	30 दिन	09-01-2015 तक
ग	मण्डल स्तर पर "आर0एफ0क्यू0 मूल्यांकन समिति" द्वारा नामांकन की चयन प्रक्रिया को अन्तिम रूप देते हुये चयन किया जाना।	3-5 दिन	12-01-2015
घ	चयनित नामांकन एजेंसियों को एल0ओ0आई0 प्रदान करना, नामांकन एजेंसी द्वारा कार्ययोजना उपलब्ध कराया जाना व नामांकन एजेन्सियों द्वारा पी0बी0जी0 और ई0एम0डी0 जमा करने, चयनित नामांकन एजेंसियों के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया जाना तथा कार्यादेश जारी करना।	45 दिन	27-02-2015
ङ	नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को चयनित नामांकन एजेंसियों की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	3 दिन	01-03-2015

आशय पत्र (एल0ओ0आई)

अग्रिम धनराशि जमा (ई0एम0डी0)

परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पी0बी0जी0)

http://shasanadesh.up.nic.in